भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2824

(दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए)

मिथ्या सूचना के विरुद्ध कार्रवाई

2824. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्री पुट्टा महेश कुमारः
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण देश में तथ्य जाँच इकाइयों (एफसीयू) द्वारा फर्जी समाचार/मिथ्या सूचना के रूप में अधिसूचित किए जाने के कारण बंद/निलंबित की गई वेबसाइटों, समाचार चैनलों, सोशल मीडिया खातों और अन्य मीडिया प्रारूपों की कुल संख्या का राज्यवार और विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान फर्जी समाचार/मिथ्या सूचना फैलाने में शामिल संगठनों/कॉर्पोरेट संस्थाओं और/या व्यक्तियों से वसूले गए अर्थदंड की कुल राशि का राज्यवार और विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निजी तथ्य जाँच इकाइयों को मिथ्या सूचना/फर्जी समाचार फैलाए जाने को चिह्नित करने और इस बारे में संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करने के लिए अधिकृत करती है;

(घ) यदि हाँ, तो संपूर्ण देश में पिछले पाँच वर्षों के दौरान फर्जी समाचार/मिथ्या सूचना को चिह्नित करने के लिए पंजीकृत, मान्यता-प्राप्त और/या अधिकृत निजी तथ्य जाँच इकाइयों (एफसीयू) का राज्यवार और विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से निजी एफसीयू को सत्यापित करने और ग्रेड देने के लिए कोई संस्थागत रुपरेखा/एसओपी कार्यान्वित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने तथ्य जांच इकाइयों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कार्य किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (च): फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं हमारे सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत सरकार, भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करती है।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों की जाँच के लिए नवंबर, 2019 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी पोस्ट करती है।

भारत सरकार ने किसी भी निजी व्यक्ति को तथ्य जांच करने के लिए अधिकृत नहीं किया है।

गलत सूचना से निपटने के लिए अन्य कानूनी प्रावधानों में शामिल हैं:

1. प्रिंट मीडिया: समाचार पत्रों के लिए भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा जारी "पत्रकारिता के आचरण के मानक" का पालन करना अनिवार्य है। ये मानक, अन्य बातों के साथ-साथ, फर्जी/अपमानजनक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगाते हैं। परिषद अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, मानकों के कथित उल्लंघनों की जाँच करती है और समाचार पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को, यथास्थिति, चेतावनी, फटकार या निंदा कर सकती है।

2. टेलीविजन मीडिया: टेलीविजन चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ऐसी सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, झूठे और विचारोत्तेजक संकेत और अर्धसत्य शामिल हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021, टीवी चैनलों द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान करते हैं। जहाँ कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, वहाँ उचित कार्रवाई की जाती है।

3. डिजिटल मीडिया: डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) एक आचार संहिता प्रदान करते हैं।

****